रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222760
CG-DL-E-27102020-222760

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3384] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942
No. 3384] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3816(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और साजिद मीर उर्फ साजिद मजिद उर्फ इबराहिम शाह उर्फ वसी उर्फ खली उर्फ मोहम्मद वसीम जिसकी जन्म तारीख 1 जनवरी 1978 है, पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी लाहौर पंजाब प्रांत पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन का शीर्ष कमांडर है ;

और लश्कर-ए-तैयबा को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और साजिद मीर को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अगस्त 2012 को विशेष अभिहित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में अभिहित किया गया है ;

और साजिद मीर मुंबई आतंकवादी हमले में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की अतिवांछित सूची में है, और फेडरल अन्वेषण ब्यूरो (एफबीआई) ने साजिद मीर को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी अभिकथित संलिप्तता के कारण अपनी अतिवांछित सूची में सम्मिलित किया है और कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जो उसकी दोषसिद्धि या गिरफ्तारी में सहायता कर सकती है, 5 मिलियन डालर का इनाम घोषित किया है ;

और साजिद मीर (26/11/2008) मुंबई आतंकवादी हमले का एक मुख्य योजनाकार था और वह अब तक के सबसे बड़े लश्कर-ए-तैयबा विदेशी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसके परिणामस्वरूप कई देशों के नागरिकों की मौत हुई थी जिसके अंतर्गत भारत और पश्चिमी देश भी है ;

और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा किए गए अन्वेषण में पता चला था कि साजिद मीर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए डेविड कोलमेन हेडली का प्रमुख संचालक था जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए रेकी-सह-निगरानी क्रियाकलापों में शामिल था ;

और साजिद मीर 26/11 मुंबई आतंकी हमले से संबंधित रजिस्ट्रीकृत मामले में अभियुक्त हैं और मुंबई पुलिस तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के अधीन है ;

और साजिद मीर के विरुद्ध दो रेड कार्नर नोटिस सं.ए-6269/10-2010 और ए-2032/2-2019 जारी किए गए ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि साजिद मीर उर्फ साजिद मजीद उर्फ इबराहिम शाह उर्फ वसी उर्फ खालिद उर्फ मोहम्मद वसीम को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

" 14. साजिद मीर उर्फ साजिद मजीद उर्फ इबराहम शाह उर्फ वसी उर्फ खालिद उर्फ मोहम्मद वसीम "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3816(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful

activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Sajid Mir @ Sajid Majeed @ Ibrahim Shah @ Wasi @ Khali @ Muhammad Waseem having date of birth on the 1st January, 1978, S/o Abdul Majeed, resident of Lahore, Punjab Province, Pakistan, is a top commander of proscribed terrorist organisation of LASHKAR-E-TAIBA;

And whereas, LASHKAR-E-TAIBA is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Sajid Mir has been designated as Specially Designated Global Terrorist (SDGT) on the 30th August, 2012 by the United States of America.

And whereas, Sajid Mir is in National Investigation Agency's most wanted list for his role in 26/11 Mumbai Terror attack and Federal Bureau of Investigation (FBI) has included Sajid Mir to its most wanted list, owing to his alleged involvement in 2008 Mumbai Terror attack and declared a reward of $ 5 million for providing any information that can help his conviction or arrest;

And whereas, Sajid Mir was one of the main planners of the Mumbai terror attack (26/11/2008) and was responsible for the largest ever oversea LASHKAR-E-TAIBA terror attack resulting in death of nationals of several countries including India and the Western countries;

And whereas, investigation by National Investigation Agency had revealed that Sajid Mir was the key handler of David Coleman Headley for the 26/11 Mumbai Terror Attack, who was involved in reccy-cum-surveillance activities for 26/11 Mumbai terror attack;

And whereas, Sajid Mir is a accused in the cases registered in connection with 26/11 Mumbai Terror attack and under investigation by the Mumbai Police and the National Investigation Agency;

And whereas, two Red Corner Notices Number A-6269/10-2010 and A-2032/2-2019 have been issued against Sajid Mir;

And whereas, the Central Government believes that Sajid Mir @ Sajid Majeed @ Ibrahim Shah @ Wasi @ Khalid @ Muhammad Waseem is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"14. Sajid Mir @ Sajid Majeed @ Ibrahim Shah @ Wasi @ Khalid @ Muhammad Waseem".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3817(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी

निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और यूसुफ मुजम्मिल उर्फ अहमद भाई उर्फ यूसुफ मुजम्मिल भट्ट उर्फ हुरेरा भाई निवासी इस्लामाबाद/मुजफ्फराबाद पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा के अभिनिषिद्ध आंतकवादी संगठन का एक कमांडर है और इस्लामाबाद/मुज्जफराबाद पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में अपनी गतिविधियां चलाता है ;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्याक 5 पर आंतकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और यूसुफ मुजम्मिल लश्कर-ए-तैयबा कैडरों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण और जम्मू-कश्मीर में घुसपेंठ के प्रयोजन के लिए देख-भाल करता है । वह अपने सहयोगीयो के माध्यम से भारत में लश्कर-ए-तैयबा आंतकियों की घुसपेंठ कराने के लिए वित्त, यात्रा दस्तावेजों और अन्य संभार तंत्रों की व्यवस्था करता है;

और यूसुफ मुजम्मिल अक्षरधाम मंदिर गुजरात (24 सितम्बर, 2002), पर आंतकी हमले, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलौर (28 दिसम्बर, 2005) पर आंतकी हमले मुंबई (11 जुलाई, 2006) में लोकल ट्रेन में सिरियल ब्लास्ट और मुंबई आतंकी हमले (26 नवम्बर, 2008) मामलो में एक अभियुक्त है;

और यूसुफ मुजम्मिल के विरुद्ध रैडकोर्नर नोटिस संख्या ए-4281-6-2012 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि यूसुफ मुजम्मिल उर्फ अहमद भाई उर्फ यूसुफ मुजम्मिल भट्ट उर्फ हुरेरा भाई उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी केरूपमें अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"15. यूसुफ मुजम्मिल उर्फ अहमद भाई उर्फ यूसुफ मुजम्मिल भट्ट उर्फ हुरेरा भाई "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3817(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Yusuf Muzammil @ Ahmad Bhai @ Yousuf Muzammil Butt @ Hurreira Bhai, resident of Islamabad/Muzaffarabad, Pakistan is a commander of proscribed terrorist organisation, LASHKAR-E-TAIBA and operates its operations in the Jammu and Kashmir from Islamabad/ Muzaffarabad, Pakistan;

And whereas, LASHKAR-E-TAIBA is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Yusuf Muzammil looks after the recruitment of LASHKAR-E-TAIBA cadres and their training and for purpose of infiltration into the Jammu and Kashmir. He arranges finances, travel documents and other logistics through his associates, for LASHKAR-E-TAIBA terrorists to be infiltrated into India;

And whereas, Yusuf Muzammil is an accused in terrorist attacks on Akshardham temple, Gujarat (September 24, 2002), terror attack on Indian Institute of Science, Bangalore (December 28, 2005), serial blasts in local trains in Mumbai (July 11, 2006), and Mumbai terror attack (November 26, 2008) cases;

And whereas, Red Corner Notice Number A-4281-6-2012 has been issued against Yusuf Muzammil;

And whereas, the Central Government believes that Yusuf Muzammil @ Ahmad Bhai @ Yousuf Muzammil Butt @ Hurreira Bhai is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"15. Yusuf Muzammil @ Ahmad Bhai @ Yousuf Muzammil Butt @ Hurreira Bhai".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3818(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और अब्दुर रहमान मक्की उर्फ अब्दुल रहमान मक्की जिसकी जन्म तारीख 10 दिसम्बर, 1954 (वैकल्पिक 1948 है) पुत्र अब्दुल्ला निवासी लाहौर/इस्लामाबाद लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक कार्य विंग/शाखा का प्रमुख है और लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी संबंधी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा है ;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्याक 5 पर आंतकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और अब्दुर रहमान मक्की संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य कोषागार विभाग द्वारा तारीख 4 नवम्बर, 2010 कार्यपालक आदेश संख्या 13224 के अधीन विशेष अभिहीत वैश्विक आतंकी (एसडीजीटी) के रूप में अभिहीत किया है;

और अब्दुर रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा के लिए धन संग्रह करने में शामिल है;

और अब्दुर रहमान मक्की आरटीसी क्रोसरोड़ चिक्कादपल्ली थाना हैदराबाद ओडोन थ्रेटर में इंम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इक्सप्लोश्जॅन (7 मई, 2006) का संचालन किया जिसके के कारण 4 लोग घायल हो गए और इस मामले में अभियुक्तों का हैदराबाद पुलिस द्वारा अन्वेषित किया जा रहा है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अब्दुर रहमान मक्की उर्फ अब्दुल रहमान मक्की उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"16. अब्दुर रहमान मक्की उर्फ अब्दुल रहमान मक्की "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3818(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Abdur Rehman Makki @ Abdul Rehman Makki, having date of birth on the 10th December, 1954 (Alternate 1948), S/o Abdullah, resident of Lahore / Islamabad is Head of LASHKAR-E-TAIBA's political affairs wing/arm and served as Head of LASHKAR-E-TAIBA's foreign relations department;

And whereas, LASHKAR-E-TAIBA is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Abdur Rehman Makki has been designated as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) under Executive Order 13224 dated the 4th November, 2010 by the United States Department of Treasury, United States of America;

And whereas, Abdur Rehman Makki is involved in raising funds for LASHKAR-E-TAIBA;

And whereas, Abdur Rehman Makki supervised the Improvised Explosive Device Explosion (May 7, 2006) inside Odeon theatre, RTC Cross Road, Chikkadpally PS, Hyderabad, causing injuries to 4 persons and accused in this case being investigated by the Hyderabad Police;

And whereas, the Central Government believes that Abdur Rehman Makki @ Abdul Rehman Makki is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"16. Abdur Rehman Makki @ Abdul Rehman Makki".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3819(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और शाहिद महमूद उर्फ शाहिद महमूद रहमतुल्ला जिसके जन्म की तारीख 10 अप्रैल, 1980 है निवासी बी-17 सलमान तारिक हुसैन स्क्वायर कराची पाकिस्तान और स्थायी निवासी शेखपुरा जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संघटन के एक अग्र संघटन फलाह-ए-इन्सानीयत फाउंडेशन अभिनिषिद्ध संघटन का उप प्रमुख है ;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्याक 5 पर आतंकवादी संघटन के रूप में सुचीबद्ध है ;

और शाजिद महमूद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 28 दिसंबर, 2016 को कार्यपालक आदेश 13224 के अधीन विशेष अभिहित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में अभिहित है;

और शाजिद महमूद लश्कर-ए-तैयबा अभिनिषिद्ध आतंकवादी संघटन के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र अभिहित आतंकवादी हाफिज महमूद सईद के साथ भारत में भारत विरोधी क्रियाकलापों के लिए धार्मिक / परोपकार कार्य की आड में धन भेजकर अड्डे स्थापित करने और समर्थक बनाने के लिए षडयंत्र में शामिल है ;

और एक मामला (सं. आरसी-20/2018/एनआईए/डीएलआई तारीख 02.07.2018) आतंकवाद निधिकरण मामला [फलाह-ए-इन्सानीयत फाउंडेशन (एफआईएफ)] में शाजिद महमूद के विरुद्ध रजिस्ट्रिकृत किया गया और राष्ट्रीय अन्वेषन अभिकरण (एनआईए) द्वारा अन्वेषित किया गया ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शाजिद महमूद उर्फ शाजिद महमूद रहमतुल्ला उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"17. शाजिद महमूद उर्फ शाहिद महमूद रहमतुल्ला "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3819(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Shahid Mehmood @ Shahid Mehmood Rehmatullah, having date of birth on the 10th April, 1980, resident of B-17, Salman Tariq Hussain Square, Karachi, Pakistan and permanent resident of Sheikhpura district, Punjab Province, Pakistan is the Deputy Chief of proscribed organisation Falah-i-Insaniyat Foundation, a frontal organisation of terrorist organisation LASHKAR-E-TAIBA;

And whereas, LASHKAR-E-TAIBA is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Shahid Mehmood has been designated as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) under Executive Order 13224 on the 28th December, 2016 by the United States of America;

And whereas, Shahid Mehmood along with Hafiz Mohammad Saeed, Chief of proscribed terrorist organisation LASHKAR-E-TAIBA and a United Nations Designated terrorist, is involved in a conspiracy to create bases and sympathizers in India by sending funds in the garb of religious/charity work, for anti-India activities;

And whereas, a case (No. RC-20/2018/NIA/DLI dated 02.07.2018) has been registered and investigated by the National Investigation Agency (NIA) against Shahid Mehmood in a {Falah-i-Insaniyat Foundation (FIF)} Terror Funding case;

And whereas, the Central Government believes that Shahid Mehmood @ Shahid Mehmood Rehmatullah is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"17. Shahid Mehmood @ Shahid Mehmood Rehmatullah".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3820(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, फरहातुल्ला उर्फ अबु सुफियान उर्फ सरदार साहेब उर्फ फैरू पुत्र अहमदुल्ला गौरी जिसकी जन्म तारीख 2 जून, 1966 है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य है ;

और, लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर और जैश-ए-मोहम्मद क्रम सं. 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, फरहातुल्ला गौरी अक्षरधाम मंदिर आतंक हमले मामले (2002) में गुजरात पुलिस द्वारा और हैदराबाद मामले (2004) में राजनेताओं के विलोपन के षडयंत्र में हैदराबाद पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित मामलों में अभियुक्त है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि फरहातुल्ला उर्फ अबु सुफियान उर्फ सरदार साहेब उर्फ फैरू को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"18. फरहातुल्ला उर्फ अबु सुफियान उर्फ सरदार साहेब उर्फ फैरू" ।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3820(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Farhatullah Ghori @ Abu Sufiyan @ Sardar Sahab @ Faru, having date of birth on the 2nd June, 1966, S/o Ahmedullah Ghori, presently based in Pakistan, is a key member of proscribed terrorist organisations, LASHKAR-E-TAIBA and JAISH-E-MOHAMMED;

And whereas, LASHKAR-E-TAIBA is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5 and JAISH-E-MOHAMMED at serial number 6;

And whereas, Farhatullah Ghori is accused in the cases being registered and investigated by the Gujarat Police in Akshardham Temple terror attack (2002) case and by the Hyderabad Police in conspiracy to eliminate political leaders in Hyderabad case (2004).

And whereas, the Central Government believes that Farhatullah Ghori @ Abu Sufiyan @ Sardar Sahab @ Faru is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 17 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"18. Farhatullah Ghori @ Abu Sufiyan @ Sardar Sahab @ Faru".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3821(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, अब्दुल रऊफ असगर उर्फ मुफ्ती उर्फ मुफ्ती असगर उर्फ साद बाबा उर्फ मौलाना मुफ्ती रऊफ असगर पुत्र अल्लाह बख्श साबिर अल्वी निवासी बहवालपुर, पाकिस्तान, जिसकी जन्म तारीख 1 जनवरी, 1977 है, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य है ;

और, जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, अब्दुल रऊफ असगर यूनाइटेड स्टेट ट्रैजरी (2 दिसम्बर, 2010) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है ;

और, अब्दुल रऊफ असगर पाकिस्तान में प्रशिक्षण कैंपों की स्थापना में सम्मिलित है और पाकिस्तान की भूमि से भारत में आतंकवादी हमले कराने में भी सम्मिलित है और अब्दुल रऊफ असगर काठमांडू (नेपाल) से कंधार (अफगानिस्तान) भारतीय एयरलाईन वायुयान आईसी-814 के विमान अपहरण (24.12.1999) के षड्यंत्र में भी सम्मिलित था ;

और, अब्दुल रऊफ असगर भारतीय संसद्, नई दिल्ली पर आतंकवादी हमले (13.01.2001) में मुख्य षड्यंत्रकर्ता था और वायु सेना स्टेशन पठानकोट पर आतंकवादी हमले (02.01.2016) का भी षड्यंत्रकर्ता था ;

और, अब्दुल रऊफ असगर जंगलोट, कठुआ, जम्मू-कश्मीर सेना कैंप पर आतंकी हमले के मामले, राजबाग, कठुआ, जम्मू-कश्मीर पुलिस थाने पर आतंकी हमले के मामले, सांबा, जम्मू-कश्मीर सेना कैंप पर आतंकवादी हमले के मामले, दीनानगर, गुरूदासपुर, पंजाब पुलिस थाने पर आतंकी हमले के मामले, तंगधार सेना कैंप आतंकी हमले के मामले, जम्मू-कश्मीर और पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले के मामले में अभियुक्त था ;

और, अब्दुल रऊफ असगर के विरूद्ध रेड कॉर्नर का नोटिस सं. ए-566/6-2000 जारी किया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अब्दुल रऊफ असगर उर्फ मुफ्ती उर्फ मुफ्ती असगर उर्फ साद बाबा उर्फ मौलाना मुफ्ती रऊफ असगर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"19. अब्दुल रऊफ असगर उर्फ मुफ्ती उर्फ मुफ्ती असगर उर्फ साद बाबा उर्फ मौलाना मुफ्ती रऊफ असगर"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3821(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful

activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Abdul Rauf Asghar @ Mufti @ Mufti Asghar @ Saad baba @ Maulana Mufti Rauf Asghar, having date of birth on the 1st January, 1977, S/o Allah, Bakash Sabir Alvi, resident of Bahawalpur, Pakistan, is a key member of proscribed terrorist organisation JAISH-E-MOHAMMED;

And whereas, JAISH-E-MOHAMMED is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Abdul Rauf Asghar has been designated as terrorist by the United States Treasury (December 2, 2010) United States of America;

And whereas, Abdul Rauf Asghar is involved in setting up training camps in Pakistan and also involved in organising terrorist attacks in India from Pakistan soil;

And whereas, Abdul Rauf Asghar was involved in conspiracy of Hijacking (24.12.1999) of Indian Airlines aircraft IC-814 from Kathmandu (Nepal) to Kandahar (Afghanistan);

And whereas, Abdul Rauf Asghar was key conspirator in the terrorist attack (13.12.2001) on the Indian Parliament House, New Delhi and also conspirator of the terror attack (02.01.2016) at the Air Force Station Pathankot;

And whereas, Abdul Rauf Asghar was the accused in terror attack case of Army Camp. Janglot, Kathua, Jammu and Kashmir, terror attack case of P.S Raj Bagh, Kathua, Jammu and Kashmir, terror attack case of Army Camp, Samba, Jammu and Kashmir, terror case of P.S Dina Nagar, Gurdaspur, Punjab, terror attack case of Tangdhar Army Camp, Jammu and Kashmir and Pathankot Air Force Station terrorist attack;

And whereas, Red Corner Notice Number A-566/6-2000 has been issued against Abdul Rauf Asghar;

And whereas, the Central Government believes that Abdul Rauf Asghar @ Mufti @ Mufti Asghar @ Saad baba @ Maulana Mufti Rauf Asghar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 18 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"19. Abdul Rauf Asghar @ Mufti @ Mufti Asghar @ Saad baba @ Maulana Mufti Rauf Asghar".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3822(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी

निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, इब्राहिम अतर उर्फ अहमद अली मोहम्मद अली शेख उर्फ जावेद अमजद सिद्दकी उर्फ ए. ए. शेख उर्फ चीफ, पुत्र अल्लाह बख्श साबिर अल्वी, निवासी बहवालपुर, पाकिस्तान, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य है ;

और, जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, इब्राहिम अतर (नेपाल) से कंधार (अफगानिस्तान) भारतीय एयरलाईन वायुयान आईसी-814 काठमांडू के विमान अपहरण (24.12.1999) के षड्यंत्र में भी सम्मिलित था ;

और, इब्राहिम अतर भारतीय संसद्, नई दिल्ली पर आतंकवादी हमले (13.01.2001) में मुख्य षड्यंत्रकर्ता था ;

और, इब्राहिम अतर के विरूद्ध रेड कॉर्नर का नोटिस सं. ए-560/6-2000 जारी किया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि इब्राहिम अतर उर्फ अहमद अली मोहम्मद अली शेख उर्फ जावेद अमजद सिद्दकी उर्फ ए. ए. शेख उर्फ चीफ को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"20. इब्राहिम अतर उर्फ अहमद अली मोहम्मद अली शेख उर्फ जावेद अमजद सिद्दकी उर्फ ए. ए. शेख उर्फ चीफ"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3822(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ibrahim Athar @ Ahmed Ali Mohd. Ali Shaikh @ Javed Amjad Siddiqui @ A.A. Shaikh @ Chief, S/o Allah Bakash Sabir Alvi, resident of Bahawalpur, Pakistan is a key member of proscribed terrorist organisation JAISH-E-MOHAMMED;

And whereas, JAISH-E-MOHAMMED is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Ibrahim Athar was involved in conspiracy of Hijacking (24.12.1999) of Indian Airlines aircraft IC-814 from Kathmandu (Nepal) to Kandahar (Afghanistan);

And whereas, Ibrahim Athar was key conspirator in the terrorist attack (13.12.2001) on the Indian Parliament House, New Delhi;

And whereas, Red Corner Notice Number A-560/6-2000 has been issued against Ibrahim Athar;

And whereas, the Central Government believes that Ibrahim Athar @ Ahmed Ali Mohd. Ali Shaikh @ Javed Amjad Siddiqui @ A.A. Shaikh @ Chief is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 19 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"20. Ibrahim Athar @ Ahmed Ali Mohd. Ali Shaikh @ Javed Amjad Siddiqui @ A.A. Shaikh @ Chief".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3823(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, यूसुफ अजहर उर्फ अजहर यूसुफ उर्फ मोहम्मद सलीम निवासी बहवालपुर, पाकिस्तान अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य है ;

और, जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, यूसुफ अजहर भारतीय एयरलाईन वायुयान आईसी-814 काठमांडू (नेपाल) से कंधार (अफगानिस्तान) के विमान अपहरण (24.12.1999) के षड्यंत्र में भी सम्मिलित था ;

और, यूसुफ अजहर के विरूद्ध रेड कॉर्नर का नोटिस सं. ए-565/6-2000 जारी किया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि यूसुफ अजहर उर्फ अजहर यूसुफ उर्फ मोहम्मद सलीम को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"21. यूसुफ अजहर उर्फ अजहर यूसुफ उर्फ मोहम्मद सलीम"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3823(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Yusuf Azhar @ Azhar Yusuf @ Mohd. Salim, R/o Bahawalpur, Pakistan is a key member of proscribed terrorist organisation JAISH-E-MOHAMMED;

And whereas, JAISH-E-MOHAMMED is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Yusuf Azhar was involved in conspiracy of Hijacking (24.12.1999) of Indian Airlines aircraft 1C 814 from Kathmandu (Nepal) to Kandahar(Afghanistan);

And whereas, Red Corner Notice Number A-565/6-2000 has been issued against Yusuf Azhar;

And whereas, the Central Government believes that Yusuf Azhar @ Azhar Yusuf @ Mohd. Salim is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 20 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"21. Yusuf Azhar @ Azhar Yusuf @ Mohd. Salim".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3824(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, शाहिद लतीफ उर्फ छोटा शाहिद भाई उर्फ नूर अली दीन, पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मरकज अबदुक्ख बिन मुबारक, तहसील दस्का, जिला सियालकोट, पाकिस्तान और स्थायी निवासी मोर अमीनाबाद, गुजरावाला, पंजाब पाकिस्तान जिसकी जन्म तारीख 1970 है, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य है ;

और, जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 6 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, शाहिद लतीफ सियालकोट सेक्टर में जैश-ए-मोहम्मद का लॉचिंग कमांडर है जो भारत में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की लॉचिंग का पर्यवेक्षण करता है और भारत में आतंकी हमलों की योजना, उन्हें सुकर बनाने और उनके निष्पादन में भी सम्मिलित है ;

और, शाहिद लतीफ 12 नवम्बर, 1994 को गिरफ्तार किया गया था और भारत की जेलों में 16 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात् 2010 में वाघा के रास्ते विवासित किया गया था ;

और, शाहिद लतीफ सियालकोट सेक्टर, पाकिस्तान से वायुसेना स्टेशन, पठानकोट पर आतंकवादी हमले (2 जनवरी, 2016) का मुख्य षड्यंत्रकर्ता और समन्वयक था ;

और, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के संबंध में शाहिद लतीफ के विरूद्ध एक मामला सं. आरसी-03/2016/एनआईए/डीएलआई, तारीख 04.01.2016 रजिस्ट्रीकृत किया है ;

और, शाहिद लतीफ भारतीय एयरलाईन वायुयान मामले (कंधार मामले) (24.12.1999) के विमान अपहरण में भी वांछित अभियुक्त है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शाहिद लतीफ उर्फ छोटा शाहिद भाई उर्फ नूर अली दीन को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"22. शाहिद लतीफ उर्फ छोटा शाहिद भाई उर्फ नूर अली दीन"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3824(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Shahid Latif @ Chota Shahid Bhai @ Noor Al Din, having date of birth 1970, S/o Abdul Latif, resident of Markaz Abdukkah Bin Mubarak, Tehsil Daska, District Sialkot Pakistan and permanent resident of More Aminabad, Gujranwala, Punjab, Pakistan is a key member of proscribed terrorist organisation JAISH-E-MOHAMMED;

And whereas, JAISH-E-MOHAMMED is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Shahid Latif is JAISH-E-MOHAMMED's Launching Commander at Sialkot sector, who supervises launching of JAISH-E-MOHAMMED terrorists into India and also involved in planning, facilitation and execution of terror attacks in India;

And whereas, Shahid Latif was arrested on the 12th November, 1994 and was deported via Wagah in 2010 after serving a term of 16 years in jails in India.

And whereas, Shahid Latif was the key conspirator and co-coordinator of the terrorist attack at the Air Force Station, Pathankot (January 2, 2016) from Sialkot sector, Pakistan;

And whereas, National Investigation Agency (NIA) has registered a case Number RC-03/2016/NIA/DLI dated 04.01.2016 against Shahid Latif, in connection with Pathankot Airbase terror Attack;

And whereas, Shahid Latif is also wanted accused in the Hijacking (24.12.1999) of Indian Airlines aircraft case (Kandhar Case);

And whereas, the Central Government believes that Shahid Latif @ Chota Shahid Bhai @ Noor Al Din is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 21 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"22. Shahid Latif @ Chota Shahid Bhai @ Noor Al Din".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3825(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और सैय्यद मुहम्मद युसुफ शाह उर्फ सैय्यद सलाहुद्दीन उर्फ पीर साहब उर्फ बुजुर्ग पुत्र गुलाम रसूल शाह ,वर्तमान मे पाकिस्तान में रहता है, हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन, अभिनिषिद्ध आतंकवाद संबंधी संगठन का प्रमुख सदस्य है;

और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर आतंकवाद संबंधी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और, सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैय्यद सलाहुद्दीन, हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के स्वयंभू सुप्रीम कमांडर है और मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल (एमजेसी) के नाम से यूनाइटेड जिहाद काउंसिल (यूजेसी) का अध्यक्ष भी है, जो लगभग 13 पाकिस्तान स्थित कश्मीर केंद्रित आतंकी संगठनों का एक समूह है ;

और पाकिस्तान में स्थित सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह, हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन कैडरों का मार्गदर्शन / निर्देशन करके, मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में, भारत में आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों का संचालन कर रहा है;

और सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह एचएम कैडरों द्वारा आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार मार्ग, हवाला चैनल और अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर चैनल्स के माध्यम से भारत को धन जुटाने और वित्त पोषण में लगे हुए हैं;

और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने पृथकतावादी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद संबंधी निधियों और सहानुभूति रखने वालों के लिए दिल्ली से हवाला चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के लिए धन के प्रवाह से संबंधित एक मामला संख्या आरसी -06/2011/एनआईए/ डीएलआई दर्ज किया है;

और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने भारत में आतंकवाद संबंधी कार्यवाहियों और विध्वंसक क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के वित्तपोषण के लिए सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह और अन्य के विरुद्ध तारीख 25.10.2011 को एक और मामला संख्या आरसी-11/2011/ एनआईए / डीएलआई दर्ज किया ;

और सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह के विरुद्ध दो रेड कॉर्नर सूचना नंबर ए -66/2-1998 और 1998/6479 जारी किए गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैय्यद सलाहुद्दीन उर्फ पीर साहब उर्फ बुज़ुर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवाद संबंधी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"23. सैय्यद मुहम्मद युसुफ शाह उर्फ सैय्यद सलाहुद्दीन उर्फ पीर साहब उर्फ बुजुर्ग"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3825(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Syed Mohammad Yusuf Shah @ Syed Salahudeen @ Peer Sahab @ Buzurg, S/o Ghulam Rasool Shah, presently residing in Pakistan, is a key member of proscribed terrorist organisation HIZB-UL-MUJAHIDEEN;

And whereas, HIZB-UL-MUJAHIDEEN is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 8;

And whereas, Syed Mohammed Yusuf Shah @ Syed Salahudeen, is self-styled Supreme Commander of HIZB-UL-MUJAHIDEEN and Chairman, United Jihad Council (UJC) also known as Muttahida Jihad Council (MJC), a conglomerate of around 13 Pakistan based Kashmir centric terror outfits ;

And whereas, Syed Mohammed Yusuf Shah, based in Pakistan, has been operationalizing militant activities in India, primarily in Kashmir valley, by guiding / instructing HIZB-UL-MUJAHIDEEN cadres;

And whereas, Syed Mohammed Yusuf Shah is engaged in fund raising and routing finances to India through trade route, Hawala channel and International Money Transfer Channels for furtherance of terrorist activities by HM cadres;

And whereas, National Investigation Agency (NIA) has registered a case number RC-06/2011/NIA/DLI, related to flow of funds from Pakistan to the Jammu and Kashmir through Hawala Channels via Delhi for funding terrorist and sympathizers active in the State of the Jammu and Kashmir for furtherance of secessionist activities;

And whereas, National Investigation Agency (NIA) registered another case number RC-11/2011/NIA/DLI dated 25.10.2011 against Syed Mohammed Yusuf Shah and others for financing the HIZB-UL MUJAHIDEEN to carry out terrorist acts and subversive activities in India;

And whereas, two Red Corner Notices number A-66/2-1998 and 1998/6479 have been issued against Syed Mohammed Yusuf Shah;

And whereas, the Central Government believes that Syed Mohammad Yusuf Shah @ Syed Salahudeen @ Peer Sahab @ Buzurg is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 22 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"23. Syed Mohammad Yusuf Shah @ Syed Salahudeen @ Peer Sahab @ Buzurg".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3826(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान उर्फ सैफुल्ला खालिद उर्फ खालिद सैफुल्लाह उर्फ जवाद उर्फ दांड, पुत्र गुलाम रसूल खान मूल रूप से निवासी ग्राम लिवर,पोस्ट पहलगाम, जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर, वर्तमान में रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान में रहता है तथा हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन अभिनिषिद्ध आतंकवाद संबंधी संगठन के प्रमुख सदस्य है ;

और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर आतंकवाद संबंधी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और गुलाम नबी खान हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के उप सुप्रीम और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन कमान परिषद का सदस्य है, इसके अतिरिक्त फील्ड ऑपरेशन सेल (एफओसी), हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन का क्रियाशील संचालन कमांडर है;

और गुलाम नबी खान को सक्रिय रूप से कमान परिषद की बैठकों, जेहादी सम्मेलनों में भाग लेने और मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर / पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन प्रशिक्षण शिविर और लॉन्चिंग टुकड़ियों का दौरा करते पाया गया है ;

और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने भारत में आतंकी वारदातों और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के वित्तपोषण के लिए गुलाम नबी खान और अन्य के विरुद्ध 25.10.2011 को एक मामला संख्या आरसी-11/2011/एनआईए / डीएलआई दर्ज किया ;

और मार्च, 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुलाम नबी खान की संपत्ति के खिलाफ अनंतिम अनुलग्नक आदेश (पीएओ) जारी किया है;

और गुलाम नबी खान के विरुद्ध रेड कॉर्नर सूचना संख्या ए-596/1-2014 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान उर्फ सैफुल्लाह खालिद उर्फ खालिद सैफुल्लाह उर्फ जवाद उर्फ दांड को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवाद संबंधी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"24. गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान उर्फ सैफुल्ला खालिद उर्फ खालिद सैफुल्लाह उर्फ जवाद उर्फ दांड"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3826(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ghulam Nabi Khan @ Amir Khan @ Saifullah Khalid @ Khalid Saifullah @ Jawaad @ Daand, S/o Ghulam Rasool Khan originally R/o Village Liver, P/S Pahalgam, District Anantnag, Jammu and Kashmir, is presently residing at Rawalpindi, Punjab, Pakistan and is a key member of proscribed terrorist organisation HIZB-UL-MUJAHIDEEN ;

And whereas, HIZB-UL-MUJAHIDEEN is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 8;

And whereas, Ghulam Nabi Khan is the Deputy Supreme of HIZB-UL- MUJAHIDEEN and member of HIZB-UL- MUJAHIDEEN Command Council, besides being the acting Operational commander of Field Operation Cell (FOC), HIZB-UL- MUJAHIDEEN;

And whereas, Ghulam Nabi Khan has been found actively attending command council meetings, Jehadi conferences, and visiting HIZB-UL- MUJAHIDEEN Training camps and Launching detachments in various areas of Muzaffarabad, Pakistan occupied Kashmir/Pakistan;

And whereas, National Investigation Agency (NIA) registered a case number RC-11/2011/NIA/DLI dated 25.10.2011 against Ghulam Nabi Khan and others for financing the HIZB-UL-MUJAHIDEEN to carry out terror acts and subversive activities in India;

And whereas, In March, 2019, Enforcement Directorate (ED) has issued Provisional Attachment

Order (PAO) against property of Ghulam Nabi Khan;

And whereas, Red Corner Notices number A-596/1-2014 has been issued against Ghulam Nabi Khan;

And whereas, the Central Government believes that Ghulam Nabi Khan @ Amir Khan @ Saifullah Khalid @ Khalid Saifullah @ Jawaad @ Daand is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"24. Ghulam Nabi Khan @ Amir Khan @ Saifullah Khalid @ Khalid Saifullah @ Jawaad @ Daand".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3827(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और ज़फ़र हुसैन भट उर्फ खुर्शीद उर्फ मो. जफर खान उर्फ मौलवी उर्फ खुर्शीद इब्राहिम, पुत्र सोनाउल्ला भट, वर्तमान में पाकिस्तान में रहतें है और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन अभिनिषिद्ध आतंकवाद संबंधी संगठन का प्रमुख सदस्य है;

और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर पर आतंकवाद संबंधी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और ज़फ़र हुसैन भट, गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान हिजब-उल-मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ का निजी सहायक है और हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के वित्तीय मामलों को भी संभालता है;

और वर्तमान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी,पाकिस्तान में बसे ज़फर हुसैन भट, जम्मू और कश्मीर में संगठन के सभी कार्यों को चलाता है और घाटी में हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन गुटों को धन भेजने के लिए जिम्मेदार है;

और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने भारत में आतंकवाद संबंधी कार्यवाहियों और विध्वंसक क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए हिज़्ब–उल–मुजाहिदीन के वित्तपोषण के लिए ज़फर हुसैन भट और अन्य के विरुद्ध तारीख 25.10.2011 को एक और मामला संख्या आरसी-06/11/2011/ एनआईए / डीएलआई दर्ज किया ;

और ज़फर हुसैन भट को उपरोक्त मामले में माननीय विशेष न्यायालय, राष्ट्रीय जांच अभिकरण, पटियाला हाउस न्यायालय, नई-दिल्ली के दिनांक 19.11.2013 के आदेश से एक फरार/भगोडा घोषित अपराधी किया गया ;

और ज़फ़र हुसैन भट के खिलाफ रेड कॉर्नर सूचना नंबर ए-530/1-2014 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि ज़फर हुसैन भट उर्फ खुर्शीद उर्फ मो. ज़फर खान उर्फ मौलवी उर्फ खुर्शीद इब्राहिम को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवाद संबंधी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"25. ज़फ़र हुसैन भट उर्फ खुर्शीद उर्फ मो. जफर खान उर्फ मौलवी उर्फ खुर्शीद इब्राहिम " ।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3827(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Zaffar Hussain Bhat @ Khursheed @ Mohd. Zafar Khan @ Moulvi @ Khursheed Ibrahim, S/o Sonaullah Bhat, is presently based in Pakistan and is a key member of proscribed terrorist organisation HIZB-UL-MUJAHIDEEN ;

And whereas, HIZB-UL-MUJAHIDEEN is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 8;

And whereas, Zaffar Hussain Bhat is Personal Assistant to Ghulam Nabi Khan @ Amir Khan HIZB-UL-MUJAHIDEEN's Dy. Chief and also handles Financial affairs of HIZB-UL-MUJAHIDEEN;

And whereas, Zaffar Hussain Bhat, presently settled in Islamabad and Rawalpindi, Pakistan, runs all the operations of outfit in Jammu and Kashmir and is responsible for sending funds to HIZB-UL-MUJAHIDEEN operatives in the Valley;

And whereas, National Investigation Agency (NIA) has registered a case number RC-11/2011/NIA/DLI dated 25.10.2011 against Zafar Hussain Bhat and others for financing the HIZB-UL-MUJAHIDEEN to carry out terror acts and subversive activities in India;

And whereas, Zaffar Hussain Bhat is an absconder / declared Proclaimed Offender on 19.11.2013 by the order of Hon'ble Special Court, National Investigation Agency, Patiala House Courts, New-Delhi in the above case;

And whereas, Red Corner Notices Number A-530/1-2014 has been issued against Zaffar Hussain Bhat;

And whereas, the Central Government believes that Zaffar Hussain Bhat @ Khursheed @ Mohd. Zafar Khan @ Moulvi @ Khursheed Ibrahim is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"25. Zaffar Hussain Bhat @ Khursheed @ Mohd. Zafar Khan @ Moulvi @ Khursheed Ibrahim".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3828(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और रियाज इस्माइल शाहबंदरी उर्फ शाह रियाज अहमद उर्फ रियाज भटकल उर्फ मो. रियाज उर्फ अहमद भाई उर्फ रसूल खान उर्फ रोशन खान उर्फ अजीज, जन्म तिथि 19 मई, 1976, पुत्र इस्माइल शाहुल हमीद शाहबादरी, वर्तमान में पाकिस्तान में डेरा डाले है, तथा इंडियन मुजाहिदीन आतंकवाद संबंधी संगठन का एक संस्थापक सदस्य है;

और इंडियन उल–मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 35 पर पर आतंकवाद संबंधी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और रियाज उर्फ रियाज भटकल पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का सदस्य था, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के अधीन एक प्रतिबंधित संगठन भी था और धार्मिक तर्ज पर सांप्रदायिक घृणा की विचारधारा का पोषण करता था। वह भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के आशय से और व्यक्तियों की मृत्यु और क्षति के कारण, नुकसान, संपत्ति के नुकसान और विनाश द्वारा भारत में लोगों में आतंक से मारने के आशय से भारत सरकार के विरुद्ध आतंकवाद संबंधी कृत्यों के कमीशन के लिए अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया ;

और मो. रियाज उर्फ रियाज भटकल ने अनेक आतंकवाद संबंधी कृत्यों का षणयंत्र और योजना का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके अंतर्गत हैदराबाद (2007), जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद (2008), हैदराबाद (2013) है तथा और भी आतंकवाद संबंधी कृत्यों के वास्तविक प्रदर्शन में शामिल था जिसके अंतर्गत

जर्मन बेकरी (2010), चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर (2010), जामा मस्जिद (2010), शीतलाघाट (2010) और मुंबई (2011) में बम विस्फोट भी हैं ;

और षडयंत्र को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के आशय से, मो. रियाज उर्फ रियाज भटकल ने दिल्ली सहित भारत में कई स्थानों पर ठिकाने बनाए रखे थे, जहाँ उसने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आयुध विनिर्माण का कारखाना स्थापित किया ;

और साजिश के अनुसरण में, मो. रियाज उर्फ रियाज भटकल ने भारत-मुजाहिदीन को अल-कायदा और तालिबान जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी संगठनों के साथ मिलाने के प्रयास किए, जिससे भारत के विरुद्ध युद्ध तेज हो सके।

और राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए), दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस द्वारा मो. रियाज उर्फ रियाज भटकल के विरुद्ध विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं;

और, मो. रियाज़ उर्फ रियाज़ भटकल के खिलाफ रेड कॉर्नर सूचना नंबर A-4554 / 11-2009 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि रियाज इस्माइल शाहबंदरी उर्फ शाह रियाज अहमद उर्फ रियाज भट उर्फ मु. रियाज उर्फ अहमद भाई उर्फ रसूल खान उर्फ रोशन खान उर्फ अजीज को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवाद संबंधी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"26. रियाज इस्माइल शाहबंदरी उर्फ शाह रियाज अहमद उर्फ रियाज भटकल उर्फ मो. रियाज उर्फ अहमद भाई उर्फ रसूल खान उर्फ रोशन खान उर्फ अजीज "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3828(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Riyaz Ismail Shahbandri @ Shah Riyaz Ahmed @ Riyaz Bhatkal @ Md. Riyaz @ Ahmed Bhai @ Rasool Khan @ Roshan Khan @ Aziz, having date of birth on the 19th May, 1976, S/o

Ismail Shahul Hammed Shahbandri, presently based in Pakistan, is a founder member of terrorist organisation INDIAN MUJAHIDEEN;

And whereas, INDIAN MUJAHIDEEN is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 35;

And whereas, Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal was earlier a member of the Students Islamic Movement of India (SIMI), also a banned outfit under the First Schedule of the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 and nurtured ideology of communal hatred on religious lines. He entered into a criminal conspiracy along with the other co-conspirators for commission of terrorist act against Government of India, with the intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty of India and with intent to strike terror in the people in India, by causing death of and injuries to persons, loss of, damage to and destruction of property;

And whereas, Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal voluntarily and actively participated in the conspiracy and planning leading to several terrorist acts including the blasts at Hyderabad (2007), Jaipur, Delhi and Ahmedabad (2008), Hyderabad (2013) and also in the actual execution of terrorist acts including bomb blasts at German Bakery (2010), Chinnaswami Stadium, Bangalore (2010) , Jama Masjid (2010), Sheetlaghat (2010) and Mumbai (2011);

And whereas, for the furtherance of conspiracy and with intent to strengthen the outfit, Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal maintained hideouts at several places in India including Delhi where he set up the Arms manufacturing factory in collusion with other members of the outfit;

And whereas, in pursuance of the conspiracy, Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal made efforts to associate the INDIAN MUJAHIDEEN with other international terrorist organisations like the Al-Qaeda and the Taliban in order to further intensify the war waged against India.

And whereas, various cases have been registered by the National Investigation Agency (NIA), Delhi Police, Mumbai Police and Rajasthan Police against Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal;

And whereas, Red Corner Notice number A-4554/11-2009 has been issued against Md. Riyaz @ Riyaz Bhatkal;

And whereas, the Central Government believes that Riyaz Ismail Shahbandri @ Shah Riyaz Ahmed @ Riyaz Bhatkal @ Md. Riyaz @ Ahmed Bhai @ Rasool Khan @ Roshan Khan @ Aziz is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"26. Riyaz Ismail Shahbandri @ Shah Riyaz Ahmed @ Riyaz Bhatkal @ Md. Riyaz @ Ahmed Bhai @ Rasool Khan @ Roshan Khan @ Aziz".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3829(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और मोहम्मद इकबाल उर्फ साहबनदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल, जिसके जन्म की तारीख 28 जुलाई, 1968 है, पुत्र इस्माइल साहुल हम्मेड साहबनदरी, वर्तमान में पाकिस्तान का निवासी है, आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सह संस्थापक है ;

और इंडियन मुजाहिद्दीन उक्त अधिनियम के क्रम संख्या 35 की प्रथम अनुसूची के अधीन आंतकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और इकबाल भटकल जो कि इंडियन मुजाहिद्दीन का प्रमुख रहा था, आंतकवादी कार्यों के लिए निधियों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मदार था;

और राष्ट्रीय जांच एंजेसी (एन आई ए), दिल्ली पुलिस, मुम्बई पुलिस और राजस्थान पुलिस द्वारा इकबाल भटकल के विरुद्ध अनेक मामले संस्थित किए हैं;

और इकबाल भटकल के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए 285/1-2010 जारी किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि मोहम्मद इकबाल उर्फ साहबनदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल को उक्त अधिनियम के अधीन आंतकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"27. मोहम्मद इकबाल उर्फ साहबनदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल"।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3829(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Md. Iqbal @ Shabandri Mohammed Iqbal @ Iqbal Bhatkal, having date of birth on the 28th July,1968, S/o Ismail Shahul Hammed Shahbandri, presently based in Pakistan, is co-founder of terrorist organisation INDIAN MUJAHIDEEN;

And whereas, INDIAN MUJAHIDEEN is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 35;

And whereas, Iqbal Bhatkal, being the Amir (Head) of Indian Mujahideen was responsible for arranging funds for terrorist acts;

And whereas, various cases have been registered by the National Investigation Agency (NIA), Delhi Police, Mumbai Police and Rajasthan Police against Iqbal Bhatkal;

And whereas, Red Corner Notices number A-285/1-2010 has been issued against Iqbal Bhatkal;

And whereas, the Central Government believes that Md. Iqbal @ Shabandri Mohammed Iqbal @ Iqbal Bhatkal is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 26 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"27. Md. Iqbal @ Shabandri Mohammed Iqbal @ Iqbal Bhatkal".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3830(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और शेख शकील उर्फ छोटा शकील, पुत्र शेख बाबू मोहिद्दीन, जिसके जन्म का वर्ष 1960 है, वर्तमान में कराची, पाकिस्तान का निवासी है, दाउद इब्राहिम की देखरेख में डी. कंपनी के सभी आपराधिक और अंडरवर्ड संचालन की देखभाल करता है ;

और दाउद इब्राहिम कासकर उक्त अधिनियम के क्रम संख्यांक 4 के चौथी अनुसची के अधीन व्यक्तिगत आंतकवादी के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, शेख शकील आंतकवादी गतिविधियों को भारत और विदेश में अंजाम देने के लिए डी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ;

और शेख शकील के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून, 1999 और मुम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 के अधीन विभिन्न धाराओं में लगभग 104 आपराधिक मामलों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;

और शेख शकील के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए-356/7-1995 जारी की गई है ;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है शेख शकील उर्फ छोटा शकील को उक्त अधिनियम के अधीन आंतकवादी के रुप में अधिसूचित किया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"28 शेख शकील उर्फ छोटा शकील "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3830(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Shaikh Shakeel @ Chhota Shakeel, S/o Shaikh Baboo Mohiddin, having date of birth in 1960, presently based in Karachi, Pakistan, looks after all criminal and underworld operations of D-Company under supervision of Dawood Ibrahim;

And whereas, Dowood Ibrahim Kaskar is listed as an individual terrorist under the Fourth Schedule to the said Act at serial number 4;

And whereas, Shaikh Shakeel finances D-Company operatives of India and abroad in order to execute criminal activities;

And whereas, approximately 104 criminal cases have been registered against Shaikh Shakeel under various sections of Indian Penal Code, Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 and Bombay Police Act, 1951;

And whereas, Red Corner Notices number A-356/7-1995 has been issued against Shaikh Shakeel;

And whereas, the Central Government believes that Shaikh Shakeel @ Chhota Shakeel is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 27 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"28. Shaikh Shakeel @ Chhota Shakeel".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3831(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और मोहम्मद आनिस, पुत्र शेख इब्राहीम कासकर, वर्तमान में पाकिस्तान में डी ब्लाक, बंगला सं. डी-95 कराची, पाकिस्तान का निवासी है, दाऊद इब्राहीम कासकर का साथी और छोटा भाई है;

और दाउद इब्राहिम कासकर उक्त अधिनियम के क्रम संख्यां 4 की चौथी अनुसची के अधीन व्यक्तिगत आंतकवादी के रुप में सूचीबद्ध है ;

और मोहम्मद अनिस सी बी आई. मामला संख्या आर सी 1/(एस)/1993/सी बी आई/ एसटीएफ/ मुम्बई से संबंधित बाम्बे बम ब्लास्ट केस (1993) में लिप्त है;

और मौहम्मद अनिस को टाडा न्यायालय ने 15 सितंबर, 1993 में उद्घोषित अपराधी घोषित किया है;

और 12 मार्च 1993 को महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर बम ब्लास्ट मामलों से संबंधित 27 मामलों को दर्ज किया था ;

और मौहम्मद अनिस के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. आर सी एन संख्या ए 349/8-1993 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि मोहम्मद अनीस को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाना है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"29. मोहम्मद अनीस "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3831(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mohammad Anis, S/o s/o Shaikh Ibrahim Kaskar, presently residing in Pakistan at Caption D-Block, Bunglow No-D-95 Karanchi Pakistan, is an associate and younger brother of Dawood Ibrahim Kaskar;

And whereas, Dowood Ibrahim Kaskar is listed as an individual terrorist under the Fourth Schedule of the said Act at serial number 4;

And whereas, Mohammad Anis is involved in CBI case number RC 1/(S)/1993/CBI/STF/Mumbai related to Bombay Bomb Blast Case (1993);

And whereas, Mohammad Anis has been declared a proclaimed offender by the TADA Court on the 15th September, 1993;

And whereas, on the 12th March, 1993, Maharashtra Police had registered 27 cases relating to Bomb Blast cases at various places Maharashtra;

And whereas, Red Corner Notices No. RCN number A-349/8-1993 has been issued against Mohammad Anis;

And whereas, the Central Government believes that Mohammad Anis is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 28 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"29. Mohammad Anis".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3832(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ मुस्ताक उर्फ टाइगर मेमन, वर्तमान में पाकिस्तान का निवासी है, दाऊद इब्राहीम कासकर का साथी और छोटा भाई है ;

और दाऊद इब्राहीम कासकर उक्त अधिनियम के क्रम संख्या 4 की चौथी अनुसूची के अधीन व्यक्तिगत आंतकवादी संगठन के रुप में सूचीबद्ध है;

और इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन 1993 में बाम्बें के बम ब्लास्ट केस का प्रधान अभियुक्त है और सी बी आई ने मामला सं. आर सी 1 (एस)/1993/सी बी आई/ एस टी एफ/ मुम्बई में मामला दर्ज किया है;

और इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन को टाडा न्यायालय ने 15.09.1993 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया हैं ;

और इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन ने सह-अभियुक्त दाऊद इब्राहीम कासकर के साथ 1993 के बम्बई बम विस्फोट मामले का आपराधिक षडयंत्र रचा था और विस्फोटकों, अयुधों और गोलाबारुद के हैंडलिंग के लिए सह अभियुक्तों की भर्ती की थी उनके प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण और व्यवस्था की थी तथा बम्बई बम ब्लास्ट में प्रयुक्त आर डी एक्स के डिब्बों का व्यक्तिगत रुप से परिवहन किया था और बम्बई बम विस्फोट करने के पश्चात् सभी सह अभियुक्तों को भगाने और छिपाने की योजना बनाई थी और उसे सुकर बनाया था ;

और इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. 127/4-1993 जारी की गई थी ;

और 12.03.1993 के महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर बम्बई बम विस्फोट मामले के संबंध में 27 मामलों को रजिस्ट्रीकृत किया था ।

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ मुस्ताक उर्फ टाइगर मेमन को उक्त अधिनियम के अधीन आंतकवादी के रुप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"30. इब्राहीम अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ मुस्ताक उर्फ टाइगर मेमन "।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3832(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ibrahim Abdul Razak Memon @ Mustaq @ Tiger Memon, presently residing in Pakistan, is an associate and younger brother of Dawood Ibrahim Kaskar;

And whereas, Dowood Ibrahim Kaskar is listed as an individual terrorist under the Fourth Schedule to the said Act at serial number 4;

And whereas, Ibrahim Abdul Razak Memon is the main accused in Bombay Bomb Blast case in 1993 and CBI registered a case number RC 1 /(S) /1993 /CBI /STF / Mumbai;

And whereas, Ibrahim Abdul Razak Memon has been declared proclaimed offender by the TADA Court on 15.09.1993;

And whereas, Ibrahim Abdul Razak Memon, along with the co-accused Dawood Ibrahim Kaskar hatched the criminal conspiracy of the Bombay Bomb Blast Case, 1993 and recruited, financed and arranged for the training of co-accused in the handling of explosives, arms and ammunition and personally transported the RDX cartons used for the Bombay bomb blasts and master-minded and facilitated the escape and hiding of all the co-accused after commission of the Bombay Bomb blasts;

And whereas, Red Corner Notice number RCN No.127/4-1993 has been issued against Ibrahim Abdul Razak Memon;

And whereas, On 12.03.1993, Maharashtra Police had registered 27 cases relating to Bomb Blast cases at various places in Maharashtra;

And whereas, the Central Government believes that Abdul Razak Memon @ Mustaq @ Tiger Memon is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 29 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"30. Ibrahim Abdul Razak Memon @ Mustaq @ Tiger Memon".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3833(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी

निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और, जावेद चिकना उर्फ दाऊद टेलर, वर्तमान में पाकिस्तान निवासी है, दाऊद इब्राहीम कासकर का साथी है;

और दाऊद इब्राहीम कासकर उक्त अधिनियम के क्रम संख्या 4 की प्रथम अनुसूची में व्यक्तिगत रुप से आंतकवादी के रुप में सूचीबद्ध है ;

और जावेद चिकना बम्बई बम विस्फोट मामला 1993 का अभियुक्त है और सी बी आई मामला सं. आर सी 1 (एस)/1993/सी बी आई/ एस टी एफ/ मुम्बई में मामला रजिस्ट्रीकृत किया है;

और जावेद चिकना को टाडा न्यायालय ने 15.09.1993 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया हैं ;

और जावेद चिकना ने विस्फोटकों, आयुधों और गोला बारुद को शेखान्डी से थाणे/मुम्बई में पहुचाने और परिवहन में भाग लिया था और भोरघाट और सानधेरी, जिला रायगढ़ में आयुधों और गोलाबारुद तथा विस्फोटकों के प्रशिक्षण में भाग लिया था और बी एम सी तथा स्टाक एक्सचेंज के अवीक्षण में भी भाग लिया था;

और इब्राहीम जावेद चिकना के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं आर सी एन ए. 350/8-1993 जारी किया गया है;

और 12.03.1993 के महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर बम्बई बम विस्फोट मामलों के संबंध में 27 मामलों को रजिस्ट्रीकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास है कि जावेद चिकना उर्फ दाऊद टेलर उक्त अधिनियम के अधीन आंतकवादी के रुप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"31. जावेद चिकना उर्फ दाऊद टेलर " ।

[फा.सं.11034/24/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3833(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Javed Chikna @ Javed Dawood Tailor, presently residing in Pakistan, is associate of Dawood Ibrahim Kaskar;

And whereas, Dowood Ibrahim Kaskar is listed as an individual terrorist under the Fourth Schedule to the said Act at serial number 4;

And whereas, Javed Chikna is an accused in Bombay Bomb Blast case in 1993 and CBI registered a case number RC 1 /(S) /1993 /CBI /STF / Mumbai;

And whereas, Javed Chikna has been declared a proclaimed offender by the TADA Court on 15.09.1993;

And whereas, Javed Chikna participated in the landings and transportations of explosives, arms and ammunition from Shekhandi to Thane /Mumbai and participated in the training of arms, and ammunition and explosives at Bhorghat and Sandheri, Dist. Raigad and also participated in the reconnaissance of the B.M.C. and Stock Exchange Buildings;

And whereas, Red Corner Notice number RCN A 350/8-1993 has been issued against Ibrahim Javed Chikna;

And whereas, on 12.03.1993, Maharashtra Police had registered 27 cases relating to Bomb Blast cases at various places in Maharashtra;

And whereas, the Central Government believes that Javed Chikna @ Javed Dawood Tailor is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 30 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"31. Javed Chikna @ Javed Dawood Tailor".

[F.No. 11034/24/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.